

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/fix-02-08340/2023/619

दिनांक:- 20/11/2023

--: आदेश :-

राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020, 437 दिनांक 28.04.2020, एवं 393 दिनांक 01.03.2021, 1087 दिनांक 05.10.2020 एवं अन्य विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/ भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022, के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की कार्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जागी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	अंजू सेन	अजमेर	23-06-1990	04-03-2021	-	03-03-2023	04-03-2023
02	शारदा बाई	अजमेर	12-05-1985	12-10-2020	-	11-10-2022	12-10-2022
03	निर्मला कुमारी तेली	अजमेर	06-07-1990	09-10-2020	-	08-10-2022	09-10-2022
04	रामकन्या मेवाडा	अजमेर	15-06-1986	13-01-2021	-	12-01-2023	13-01-2023
05	भंवरी भाटीवाल	अजमेर	21-03-1995	05-03-2021	-	04-03-2023	05-03-2023
06	चित्रा परिहार	अजमेर	16-11-1993	08-10-2020	-	07-10-2022	08-10-2022

नोट:- उक्त कार्मिकाओं के द्वारा यदि परिवीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/fix-02-08340/2023/619

दिनांक:-

20/11/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर राजस्थान।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5050214

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation: Director  
Date :20-11-2023 01:04:37